न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रकरण संख्याः– 63/दावा/2017

1. कल्याण आयु 35 वर्ष आ0 श्री खाना जाति मीणा निवासी मोतीपुरा
2. सीतादेवी आयु 70 वर्ष बेवा खाना जाति मीणा निवासी मोतीपुरा, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)।

वादीगण

बनाम

1. मनोज आ0 श्रवण जाति मीणा निवासी मोतीपुरा
2. शंकरलाल आ0 रंगलाल जाति मीणा निवासी मोतीपुरा
3. प्रभूलाल आ0 हरदेव जाति मीणा निवासी मोतीपुरा
4. सोहन आ0 हरदेव जाति मीणा निवासी मोतीपुरा
5. मथरा लाल आ0 गोदु जाति मीणा निवासी मोतीपुरा
6. सन्तकुमार आ0 सोनाथ जाति मीणा निवासी मोतीपुरा
7. राजेश आ0 श्रवण जाति मीणा निवासी मोतीपुरा
8. जगदीश आ0 रंगलाल जाति मीणा निवासी मोतीपुरा
9. शैतान आ0 प्रभूलाल जाति मीणा निवासी मोतीपुरा
10. हीरालाल आ0 रणजीत जाति मीणा निवासी मोतीपुरा
11. पन्नालाल आ0 कालू जाति मीणा निवासी मोतीपुरा
12. मांगीलाल आ0 नारायण जाति मीणा निवासी मोतीपुरा
13. सीमा बाई पत्नी सन्तकुमार जाति मीणा निवासी मोतीपुरा
14. पार्वती बाई पत्नी सन्तकुमार जाति मीणा निवासी मोतीपुरा
15. हीराबाई पत्नी रंगलाल जाति मीणा निवासी मोतीपुरा ग्राम पंचायत खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी (राज0)।

प्रतिवादीगण

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 188 आर0टी0एक्ट

वादी अभिभाषक :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
प्रतिवादी – एकतरफा

निर्णय दिनांक :– 18/08/2021

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 377 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 379 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 380 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 381 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 382 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, कुल किता 5 कुल रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम अब्बड पटवार मण्डल

टा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है जो जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 खतोनी संख्या 79 में वादी कल्याण के सहखातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। कृषि भूमि खसरा संख्या 400 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 404 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम अबड पटवार मण्डल खेरखट तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है जो वादी कल्याण व सीता देवी के नाम खातेदारी में दर्ज है। कृषि भूमि खसरा संख्या 402 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम अबड पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है जो वादीगण के सहखातेदारी में दर्ज है। कृषि भूमि खसरा संख्या 395 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 397 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 398 रकबा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 399 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 407 रकबा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 408 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम अबड पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है जो वादीगण के सहखातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि में से सहखातेदार कीं भूमि में भूमि का सहखातेदारों ने काश्त करने की सुविधा की दृष्टि से मौके पर हिस्से कर रखे है और उक्त भूमि पर हिस्सेनुसार वादीगण काबिज काश्त है एवं वादीगण के सेपरेट खातेदारी की भूमि पर वादीगण स्वयं काश्त कर रहे है। इस प्रकार वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 में वर्णित भूमिया पर वादीगण शांन्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। गत फसल में वादीगण ने अपनी उक्त भूमि पर गेहूं की फसल बोई एवं काटी है। वादी कल्याण की पूर्व पत्नी मीरा बाई की दिनांक 13.06.2017 को मृत्यु हो गई है और उसके उपरान्त वादी कल्याण अपनी मां के पास रहकर उक्त वादग्रस्त भूमि पर काश्त कर गुजर बसर कर रहा है। वादी ने सामाजिक रिजि रिवाज के मुताबिक मीना बाई से नाता विवाह कर लिया है और मीना बाई द्वारा स्वेच्छा से वादी कल्याण के साथ विवाह कर लेने के उपरान्त मीना बाई के पूर्व पति शंकरलाल द्वारा रजिंशवश वादी के विरूद्व अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा दिया। उक्त प्रकरण की एफ0आई0आर0 संख्या 12/17 थाना बसोली में मीना बाई के धारा 164 के बयान न्यायालय में हो गये और मीना बाई द्वारा स्वैच्छा से विवाह करना कबुल किया है। मीना बाई द्वारा कल्याण से विवाह कर लेने से प्रतिवादीगण वादी से रजिंश पाले हुये है और उक्त रजिंश का बदला लेने के आशय से प्रतिवादीगा वादी की वादग्रस्त भूमि में दखलन्दाज कर कब्जा करना चाहते है तथा वादीगण की वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है। वादीगण ने दिनांक 01.07.2017 को अपनी वादग्रस्त उपरोक्त भूमियों पर फसल बोने के लिये खेत में खाद बीज छाट दिया और टेक्ट्रर से हंकाई करवाना शुरू किया तो उपरोक्त प्रतिवादीगण एक राय होकर समान आशय से वादीगण की भूमि पर अनाधिकृत घुस गये और वादीगण व वादीगण के परिवार जन मर जान लेवा हमला करने की कोशिश की वादी कल्याण व उसकी पत्नी मीना बाई के साथ मारपीट की। प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि हम तुम्हे तुम्हारी जमीन पर खेती नही करने देगे और जमीन पर फसल बोने का प्रयास किया तो तुझे व तेरी पत्नी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

भाई को जान से मारेगें। और तुम्हे गांव में भी नही रहने देगें। प्रतिवादीगण के उक्त अपराधिक कृत्य की वादी ने थाना बसोली में रिपोर्ट पेश की जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया लेकिन प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई कार्यवाही नही हुई। वादी ने पुनः दिनांक 03.07.2017 को बरोदा गांव से टेक्ट्रर मंगवा कर भूमि पर फसल बोने की कोशिश की तो उपरोक्त प्रतिवादीगण पुनः भूमि पर आ गये और प्रार्थी को फसल नही बोने दी और धमकी दी कि 4,11,000 रूपयें अक्षरे चार लाख ग्यारह हजार रूपये दो अन्यथा गांव में भी नही रहने देगे और भूमि पर काश्त भी नही करने देगें। प्रतिवादीगण ताकत के भय दिखाकर वादी को अपनी भूमि पर काश्त नही करने दे रहे है। जिससे वादीगण की भूमि पडत रह गई है और वादीगण अपनी भूमि पर फसल नही बो पाये है जिससे वादीगण को लगभग 2,00,000 रूपये की आर्थिक क्षति हुई है। उक्त आर्थिक क्षति प्रतिवादीगण के अवैध कृत्य के कारण हुई है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर फसल नही बोने दी जिससे वादीगण को आर्थिक क्षति हुई है। उक्त आर्थिक क्षति की राशि प्रतिवादीगण से वसुलने का वादी को अधिकार प्राप्त है। वादीगण प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य की व वादीगण की भूमि पर हस्तक्षेप नही करने, वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाज नही करने, वादीगण की भूमि में फसल बोने में व्यवधान पैदा नही करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के वास्ते उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली को दि0 11.08.2017 को व पुलिस उप अधीक्षक महोदय हिण्डोली को दिनांक 27.07.2017 व 29.07.2017 को रिपोर्ट पेश की लेकिन प्रतिवादीगण के विरूद्व उक्त रिपोर्ट कर देने के बावजूद प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाज करने पुनः एक राय होकर दिनांक 21.08.2017 को भूमि पर आ गये और वादीगण को धमकी दी कि हम तेरी भूमि पर जबरन कब्जा करेगे, तुम्हे फसल नही बोने देने व तुझे भूमि पर से बेदखल करेगे। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त धमकी देने से वादीगण को अन्तिम रूप से दिनांक 21.08.2017 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है वादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जे में दखलन्दाज नही करने, भूमि पर कब्जा नही करने, भूमि पर से वादीगण को बेदखल नही करने व वादग्रस्त भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें एवं यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादीगण की वादग्रस्त भूमि के किसी भी भू–भाग पर जबरन कब्जा कर लेवे तो इसी वाद में वादीगण को वापस कब्जा प्राप्त करें। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार नही है और प्रतिवादीगण को वादी की वादग्रस्त भूमि पर दखलन्दाज करने का कोई हक व अधिकार नही है। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही है और प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर दखलन्दाज कर रहे है और शांतिपूर्ण कब्जे में अवरोध उत्पन्न कर रहे है और प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल करने की व फसल बोने पर बाधा उत्पन्न करने से व कब्जा करने की धमकी देने से प्रतिवादीगण के विरूद्व वादकारण उत्पन्न होने से वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद में पक्षकार बनाकर यह वाद पेश किया है। वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार के द्वारा किसी प्रकार की धमकी नही देने व सहखातेदारों के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

किसी प्रकार का विवाद नही होने से व वादीगण द्वारा सहखातेदारों के विरूद्व कोई अनुतोष चाहने से उनको इस वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि अबड पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अन्दर अवधि मध्य निर्धारित न्यायशुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावें :– कृषि भूमि खसरा संख्या 395, 397, 398, 399, 407, 408, व 402 व 400, 404 तथा 377, 379, 380, 381, 382 वाके ग्राम अबड पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के किसी भी भूभाग पर जबरन कब्जा नही करने, वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने, उक्त भूमि में निहित वादीगण के हिस्से व खाते की भूमि में फसल बोने, काटने, निराई, गुडाई करने आदि में बाधा उत्पन्न नही करने व वादीगण की उक्त भूमि पर कब्जा नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की भूमि पर किसी भी भूभाग पर अवेध अतिक्रमण कर लेवे, वादीगण को अपने हिस्से से बेदखल कर देवे तो इसी वाद में प्रतिवादीगण को भूमि पर से बेदखल कर वादीगण को वापिस कब्जा दिलाया जावें। व अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रदान की जावें। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर दखलन्दाज कर वादीगण को फसल नही बोने दी जिससे वादीगण को इस वर्ष खरीफ की फसल का आर्थिक नुकसान हुआ है जिसका मिन्स ऑफ प्रोफिट वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 13 के विरूद्व वादी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहनें से उसका नाम वाद पत्र से दिनांक 04.07.2019 को विलोपित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 व 14, 15 बावजूद तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व दिनांक 27.09.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पीडब्लू–1 पेश किया साथ ही ग्राम अब्बड पं0म0 खेरखटा में खाता संख्या 79 कुल किता 5 कुल रकबा 15.17 बीघा, खाता संख्या 18 किता 1 रकबा 2.9 बीघा व खाता संख्या 15 किता 2 रकबा 4 बीघा की जमाबंदीयों की प्रमाणित प्रतियां पेश की है।

हमने प्रकरण पर वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकीलवादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों कों दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम अब्बड पं0म0 खेरखटा में खाता संख्या 79 कुल किता 5 कुल रकबा 15.17 बीघा, खाता संख्या 18 किता 1 रकबा 2.9 बीघा व खाता संख्या 15 किता 2 रकबा 4 बीघा भूमि स्थित है जो कि वादीगण व अन्य सहखातेदारों की खातेदारी में अंकित है। अन्य सहखातेदारों व वादीगण ने अपनी सुविधा अनुसार काश्त हेतु भूमि के हिस्से कर रखे है, जिसमें अन्य सहखातेदारों द्वारा कोई

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

नही किया जा रहा है जिस कारण उन्हे पक्षकार नही बनाया गया। वादी संख्या 1 मीना बाई से नाता विवाह कर लेने से प्रतिवादीगण वादी से रंजिश रखते है। इसलिए प्रतिवादीगण वादी की उक्त भूमियों पर दखलन्दाजी कर कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है जिन्होने गिरोह बना रखा है व वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते है व वादीगण को डरा धमकाकर वादीगण की सहखातेदारी भूमि पर निहित हिस्से में अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहते है जिनका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा दखलन्दाजी करने पर उनके विरूद्व थाना बसोली में शिकायत की गई जिस पर उन्हे इंसदादी कार्यवाही कर पाबंद करवाया गया है फिर भी प्रतिवादीगण बार–बार कब्जा करने की धमकियां दे रहे है उन्हे पांबद किया जावें। वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण जबरन फसल बोने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावें। हमारे साक्ष्य अखण्डित रही है। मैं सहखातेदार हूँ, अतः मेरा वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व डिक्री किया जावें।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2070 से 2073 वाके ग्राम अब्बड पं0म0 खेरखटा में खाता संख्या 79 कुल किता 5 कुल रकबा 15.17 बीघा सामलाती खातेदारी, खाता संख्या 18 किता 1 रकबा 2.9 बीघा सामलाती खातेदारी व खाता संख्या 15 किता 2 रकबा 4 बीघा भूमि स्वयं की खातेदारी में स्थित है, जिस पर दखलन्दाजी करने का प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण ने कोई जवाब पेश नही किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डित रही है। विवादित भूमियों का वादीगण सहखातेदार व स्वयं खातेदार होने से प्रतिवादीगण को पांबद कराने का अधिकारी है। उपरोक्त तथ्यों से वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 79 कुल किता 5 कुल रकबा 15.17 बीघा, खाता संख्या 18 किता 1 रकबा 2.9 बीघा व खाता संख्या 15 किता 2 रकबा 4 बीघा भूमि भूमि वाके ग्राम अब्बड पटवार मण्डल खेरखटा में स्थित है जो कि वादीगण व अन्य सहखातेदारों की खातेदारी में अंकित है, के किसी भी भू–भाग पर जबरन कब्जा नही करे, वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे एवं वादीगण को उक्त भूमि पर फसल बोने में व्यवधान पैदा नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली